न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर (कैम्प कोर्ट गुंसाईसर बडा)

मुकदमा नम्बर 55/2021 निर्णय दिनांक 21.10.2021

सुन्दरलाल पुत्र चुनाराम जाति जाट निवासी गुंसाईसर बडा तहसील श्रीडूंगरगढ

–प्रार्थी–

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीडूंगरगढ

–अप्रार्थी–

उपस्थिति–

1. श्री बजरंगलाल चोटिया अभिभाषक प्रार्थी
2. पैरोकारराज स्टेट की ओर से

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट

यह प्रार्थना पत्र सुन्दरलाल ने जरिये अधिवक्ता के मार्फत पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी ग्राम गुसाईसर बडा तहसील श्रीडूंगरगढ का स्थाई निवासी है।यह है कि प्रार्थी की खातेदारी के खेत खसरा नंबर 1377/438 तादादी 4.04 हैक्टेयर खसरा नंबर 437 तादादी 0.0100 हैक्टेयर कुल खसरा 2 कुल तादादी 4.0500 हैक्टेयर रोही गुसाईसर तहसील श्रीडूंगरगढ में स्थित है। जो प्रार्थी के ही कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग में चले आ रहे है। यह कि प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम सुंदरलाल पुत्र चुनाराम जाति जाट निवासी गुसाईसर बडा तहसील श्रीडूंगरगढ है व प्रार्थी के आधार कार्ड मतदाता पहचान पत्र पेन कार्ड बैंक पास बुक जन आधार कार्ड व राशन कार्ड में भी प्रार्थी का नाम सुन्दरलाल पुत्र चुनाराम जाति जाट निवासी गुसाईसर बडा तहसील श्रीडूंगरगढ अंकित है लेकिन राजस्व कर्मचारियो ने भूलवंश प्रार्थी के खातेदारी के खेत खसरा नंबर 1377/438 तादादी 4.04 हैक्टेयर खसरा नंबर 437 तादादी 0.0100 हैक्टेयर कुल खसरा 2 कुल तादादी 4.0500 हैक्टेयर रोही गुसाईसर तहसील श्रीडूंगरगढ में प्रार्थी का नाम सुंदरलाल पुत्र चुनाराम जाति जाट अंकित कर दिया है। यह कि प्रार्थी ने दिनांक 18.02.2021 को अपने उक्त खेत पर के.सी.सी. बनाने के लिये हल्का पटवारी से उक्त खेत के राजस्व रिकार्ड की नकले प्राप्त की तो प्रार्थी को अपने खेत खसरा नंबर 1377/438 तादादी 4.04 हैक्टेयर खसरा नंबर 437 तादादी 0.0100 हैक्टेयर कुल खसरा 2 कुल तादादी 4.0500 हैक्टेयर रोही गुसाईसर तहसील श्रीडूंगरगढ मे अपना नाम सुंदरलाल पुत्र चुनाराम के स्थान पर सुंदरराम पुत्र चुनाराम दर्ज होने की जानकारी हुई तब प्रार्थी ने हल्का पटवारी से नाम सही करने का निवेदन किया तो हल्का पटवारी ने प्रार्थी से कहा कि सक्षम न्यायालय से आदेश करवाओ तभी राजस्व रिकार्ड में संशोधन हो सकता है। उक्त खेत में प्रार्थी का गलत नाम दर्ज हो जाने से प्रार्थी अपने उक्त खेत पर के.सी.सी. नही बना पा रहा है जिससे प्रार्थी को काफी आर्थिक नुकसान हो रहा है। यह कि उक्त खेत प्रार्थी के खातेदारी के होने से व उक्त खेतो पर प्रार्थी का कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग चले आने से प्रार्थी को उक्त खेतो के संबन्ध में वादाधिकार व वादहेतु प्राप्त है। यह कि उक्त खेत रोही गुसाईसर तसहील श्रीडूंगरगढ मे स्थित है इसलिये न्यायालय श्रीमान को उक्त प्रार्थना पत्र को [illegible] प्राप्त है। यह कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र जानकारी से अन्दर मियांद [illegible] पूर्ण न्यायशुल्क पर पेश है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत क[illegible]प्रार्थी के खातेदारी के [illegible] खसरा नंबर 1377/438 तादादी 4.04 हैक्टेयर खसरा न[illegible] 437 तादादी 0.0100 हैक्टे[illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:15:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

कुल खसरा 2 कुल तादादी 4.0500 हैक्टेयर रोही गुसाईसर तहसील श्रीडूंगरगढ में प्रार्थी का नाम सुन्दरराम पुत्र चुनाराम जाति जाट के स्थान पर सुंदरलाल पुत्र चुनाराम जाति जाट अंकित कर उक्त खेतो के राजस्व रिकार्ड में सशोधन किये जाने का आदेश प्रदान करे।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से पैरोकारराज ने जवाब पेश किया। बहस सुनी गई। स्टेट को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में आपति नही होने व प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

आदेश

खेत खसरा नंबर 1377/438 तादादी 4.04 हैक्टेयर खसरा नंबर 437 तादादी 0.0100 हैक्टेयर कुल खसरा 2 कुल तादादी 4.0500 हैक्टेयर रोही गुसाईसर तहसील श्रीडूंगरगढ में प्रार्थी का नाम सुन्दरराम पुत्र चुनाराम जाति जाट के स्थान पर सुंदरलाल पुत्र चुनाराम जाति जाट शुद्ध किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तदनुसार पालना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 21.10.2021 को कैम्प कोर्ट गुंसाईसर बडा में मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।

(दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:15:04 IST
Reason: SelfAttested